भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 160

दिनांक 24.02.2015/5 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वालों का आबंधक कानून

†160. श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
डॉ० पी० वेणुगोपाल

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से बाहर आई०एस०आई०एस० जैसे आतंकवादी संगठनों में भर्ती होने के लिए जाने वालों से निपटने के लिए एक नया कानून बनाने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे व्यक्तियों से निपटने के लिए विद्यमान उपबंध क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) से (ग): विद्यमान विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967, जिसे वर्ष 2004, 2008 और 2012 में संशोधित किया गया था, में भारतीय युवाओं के आई०एस०आई०एस० आदि जैसे आतंकी संगठन में शामिल होने सहित आतंकवाद से संबंधित सभी मामले व्यापक रूप से शामिल हैं। इसलिए, ऐसे व्यक्तियों से निपटने के लिए नए कानून की आवश्यकता नहीं है।

*****